

केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 17730 (भाग 1)

16 08 2024

विषय: IS 17730 (भाग 1) : 2021 (कृषि वस्त्रादी — कृषि और बागवानी अनुप्रयोगों के लिए ओला संरक्षण जाल — विशिष्टि भाग 1 ताना निटेड ओला संरक्षण जाल) में संशोधन संख्या 2 का कार्यान्वयन।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 17730 (भाग 1): 2021 में संशोधन संख्या 2 प्रकाशित हो चुकी है। IS 17730 (भाग 1): 2021 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की अंतिम तिथि **03 अक्टूबर 2024** है। सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 17730 (भाग 1): 2021 में संशोधन संख्या 2 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और **03 अक्टूबर 2024** तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(हरीश मीना) वैज्ञानिक-बी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2) सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 17730 (Part 1)

16 08 2024

Subject: Implementation of Amendment No. 2 to Indian Standard 17730 (Part 1): 2021 (Agro Textiles — Hail Protection Nets for Agriculture and Horticulture Purposes—Specification Part 1 Wrap Knitted Hail Protection Nets)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 2 to IS 17730 (Part 1): 2021 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 2 to IS 17730 (Part 1): 2021 is **03 October 2024**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by **03 October 2024**.

(Harish Meena) Scientist B (CMD-2)

Head (CMD - 2)

Circulated to: All licensees/applicants

Copy to: BIS Branch Offices